



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230888
CG-DL-E-02112021-230888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4201]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943

No. 4201]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

का.आ. 4562(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फरीदाबाद-बल्लभगढ़-बाईपास से दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के के.एम.पी. विनिमय स्थान तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 NA डी.एन.डी.-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-बाईपास के विस्तारीकरण हेतु कि.मी. 37.100 से 59.725 कि.मी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ीकरण/छः लेनीकरण का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में फरीदाबाद-बल्लभगढ़-बाईपास से दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के के.एम.पी. विनिमय स्थान तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 NA डी.एन.डी.-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-बाईपास के कि.मी. 37.100 से 59.725 कि.मी. तक विस्तारीकरण हेतु भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला राजस्व अधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	हरियाणा	फरीदाबाद	बल्लभगढ़	1 झाडसेतली

	फरीदाबाद	Newly Proposed के कि.मी. 37.1 से 43.7 तक			
--	----------	--	--	--	--

[फा. सं. NHAI/CMU/MTR/DND/LA-FBD/2021/D-3a-III]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st November, 2021

S.O. 4562(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 37.100 to Km. 59.725 of the New NH 148NA extension of DND-Faridabad-Ballabgarh-Bypass junction with Delhi Vadodara Expressway near KMP interchange for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of HARYANA.

SCHEDULE

Land acquisition of DND-Faridabad-Ballabgarh-Bypass junction with Delhi Vadodara Expressway near KMP interchange from Km. 37.100 to Km. 59.725 in the State of HARYANA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer, Faridabad	37.1KM To 43.7KM	HARYANA	FARIDABAD	Ballabgarh	1 Jharsaintly

[F. No. NHAI/CMU/MTR/DND/LA-FBD/2021/D-3a-III]

RAJESH GUPTA, Director